मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

1-तिलक मार्ग लखनऊ।

संख्याः डीजी- परिपत्र-11 दिनाँक फरवरी 22 2016

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
जनपद/रेलवे, उत्तर प्रदेश।

विषयः आरोप पत्र के साथ गवाह के बयान की नकलें और पुलिस परिपत्र की फोटो प्रतियां अभियुक्त को देने हेतु न्यायालय में दाखिल किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांकः पांच-3-9-2003/941/2016 दिनांक 15/02/2016 द्वारा अवगत कराया गया है कि अधिकांश प्रकरणों में न्यायालयों में क्षेत्राधिकारियों के माध्यम से प्रेषित होने वाले आरोप पत्रों के साथ गवाह के बयान एवं पुलिस परिपत्र की फोटो प्रतियां संलग्न कर अभियुक्तगण को देने हेतु न्यायालय में प्रेषित नहीं की जा रही हैं, जिसके कारण विचारण की प्रकिया आरम्भ होने में दिक्कतें आ रही हैं।

2- अभियोग का त्वरित निस्तारण आपराधिक न्याय प्रशासन की प्रमुख प्राथमिकता है।

3- अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक आरोप पत्र के साथ गवाहों के बयान एवं पुलिस परिपत्रों की फोटो प्रतियां संलग्न किये बिना न्यायालयों में दाखिल न कराया जाए। आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक क्राइम मीटिंग में इस निर्देश के अनुपालन के सम्बन्ध में समीक्षा भी सुनिश्चित करें।

22.2

(जावीद अहमद)
पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।

प्रतिलिपिः- पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0, लखनऊ को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र के सम्बन्ध में सूचनार्थ प्रेषित।

2. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन/रेलवे, उ0प्र0 एवं समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र/रेलवे, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।